भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2487

सोमवार, 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक)

यूपीजीआईएस के माध्यम से रोजगार

2487. **श्री अशोक कुमार रावत:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (यूपीजीआईएस) के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के माध्यम से अब तक निवेश की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त निवेश से स्थानीय युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या कितनी है और आने वाले समय में कितने युवाओं को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग) : उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (यूपीजीआईएस) में 19,250 समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए गए जिनमें 33.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावित निवेश शामिल थे।

उत्तर प्रदेश ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज़ (जीबीसी) की एक श्रृंखला के माध्यम से निवेश कार्यान्वयन को भी संस्थागत रूप दिया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवेश संबंधी प्रतिबद्धताएँ वास्तविक परियोजनाओं में परिवर्तित हों।

ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज़ (जीबीसी)	वर्ष	शुरू की गई परियोजनाएं	निवेश (राशि करोड़ रु में)
जीबीसी 1.0	2018	81	61,792
जीबीसी 2.0	2019	290	67,202
जीबीसी 3.0	2022	1,406	80,224
जीबीसी 4.0	2024	14,701	1,001,056
कुल		16,478	1,210,274

हस्ताक्षरित एमओयू और वास्तविक रूप से शुरू की गई परियोजनाओं में दर्शाए गए रोजगार के आँकड़े सांकेतिक प्रकृति के हैं और संबंधित निवेशकों द्वारा प्रदान किए गए प्रारंभिक अनुमानों पर आधारित हैं। हालांकि, फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत कारखानों की संख्या वित्त वर्ष 2017-18 में 15,010 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 32,035 हो गई, जबकि कार्यरत कामगारों की संख्या वित्त वर्ष 2017-18 में 21,93,239 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 37,35,581 हो गई। यह इस अवधि के दौरान रोजगार में लगभग 74.88% की वृद्धि को दर्शाता है।
